कार्यालय प्राचार्य

दाऊ उत्तम साव शासकीय महाविद्यालय मचांदुर,दुर्ग(छ.ग.)

Email -gncmachandur@gmail.com website- http://dusgcmachandur.ac.in

क्र./130/स्था./2025 मचांदुर,दिनांक 25.07.2025

अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु विज्ञापन

सत्र 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1 दिनांक 23.07.2025 एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज. स्था./2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.07.2025 द्वारा पारित अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार महाविद्यालय में प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक को आमंत्रित किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण :-

क्रमांक	विषय का नाम	पद संख्या
1	अंग्रेजी	01
2	हिंदी	01

टीप :

1.मेरिट सूची शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड/अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार होगी।

2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 01.08.2025 है। आवेदन पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय (प्रातः 10:30 से सायं 05:00 बजे तक) में जमा कर सकते हैं। इस तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. आवेदन पत्र में मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आईडी का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

4. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर अतिथि व्याख्याता एवं विषय का उल्लेख अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए।

5. चयन होने पर नियुक्ति के समय आवेदक को समस्त प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि तथा मूल प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

6. तत्संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग एवं माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश मान्य होंगे।

25.07.2025

PRINCIPAL
प्राचार्य
DAU UTTAM SAO
GOVT. COLLEGE MACHANDUR
DIST.- DURG (C.G.) 491221

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ाधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनलम अर्हलाएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्युनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. आयु सीमाः अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ाधिकारी एवं अतिथि ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ासहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।

3. छतीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5. आवेदक के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

6. दिनांक 01.08.2025 तक कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रारूप में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभवित होगा।

7. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

8. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 05.08.2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। महाविद्यालय के वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

9. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 07.08.2025 तक होगी।

10. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 08.08.2025 को किया जावेगा। जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट *website- http://dusgcmachandur.ac.in* एवं सूचना पटल में किया जायेगा।

11. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत / कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई है।

12. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

13. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमिति करण का आधार नहीं होगा

Scanned with OKEN Scanner

14. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय/मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए-			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/-	300/-
2	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	41600/- प्रतिमाह अधिकतम 1600/- प्रतिदिन	30000/- प्रतिमाह अधिकतम 1200/- प्रतिदिन
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए-			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए-	500/-	350/-
4	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय			
	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा अधिकारी सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/-प्रतिदिन (40000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- प्रतिदिन (30000/- प्रतिमाह अधिकतम)

15. आवेदक निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता प्राचार्य, दाऊ उत्तम साव शासकीय महाविद्यालय मचांदुर एवं आवेदित विषय .....पद ......आवश्यक रूप से लिखें।

16. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।

17. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

18. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

19. कक्षाओं के संचालन के साथ साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा-गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

20. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु प्राप्त नहीं होंगे।

नोट: अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक विज्ञापन संबंधी विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध

25.07.2025

PRINCIPAL
प्राचार्य
DAU UTTAM SAO
GOVT. COLLEGE MACHANDUR
DIST.- DURG (C.G.) 491221

Scanned with OKEN Scanner